"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2010—पौष 10, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. (1978) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक, राज्य प्रशासन अकादमी, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री राधाकृष्णन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत महानिदेशक, राज्य प्रशासन अकादमी के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

2. श्री टी. राधाकृष्णन के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सरजियस मिंज, भा.प्र.से. (1978) केवल महानिदेशक, राज्य प्रशासन अकादमी के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्री बाबू लाल अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988) सदस्य, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-5/2010/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 के अनुक्रम में नगरपालिका परिषद् बैकुंठपुर, जिला कोरिया के आम निर्वाचन हेतु गुरुवार दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को मतदान के लिए उक्त क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ. 8-4/2008/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा, जिला योजना समिति की अध्यक्षता करने तथा जनसम्पर्क और जन-समस्याओं के निराकरण करने आदि के लिये मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05 जून, 2009 में आवंटित प्रभार जिलों में परिवर्तन करते हुए निम्नानुसार जिले का प्रभार सौंपा जाता है :—

क्रमांक (1)	मा. मंत्री का नाम (2)	मा. मंत्री का विभाग (3)	प्रभार के जिले का नाम (4)
1.	श्री ननकी राम कंवर	गृह, जेल, सहकारिता	सरगुजा, जशपुर
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति, संसदीय कार्य, पर्यटन.	धमतरी, महासमुंद
3.	श्री अमर अग्रवाल	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर, राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास.	रायगढ़, कोरिया
4.	श्री रामविचार नेताम	पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विधि और विधायी कार्य.	दुर्ग
5.	श्री चन्द्रशेखर साहू	कृषि, पशुधन विकास, मछलीपालन, श्रम	कोरबा

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्री हेमचंद यादव	जल संसाधन, आयाकट, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान प्रौद्योगिकी.	बिलासपुर
7.	श्री राजेश मूणत	नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन	राजनांदगांव, कबीरधाम
8.	श्री पुन्नुलाल मोहले	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामोद्योग, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन.	रायपुर
9.	श्री केदार कश्यप	आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.
10.	सुश्री लता उसेंडी	महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण.	नारायणपुर, उत्तर बस्तर कांकेर.
11.	श्री विक्रम उसेंडी	वन, सार्वजनिक उपक्रम, जनशिकायत निवारण	जगदलपुर
12.	श्री दयालदास बघेल	वाणिज्य एवं उद्योग	जांजगीर-चांपा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्रमांक ई 7-26/2004/1/2.—श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनु. जनजाति विकास विभाग को दिनांक 09-06-2010 से 18-06-2010 तक (10 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19 एवं 20 जून 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनु. जनजाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री आर. पी. मण्डल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्रमांक 2069/1022/2010/1-8/स्था.—श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 15-11-2010 से 19-11-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्रमांक 2071/904/2010/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1174-75/805/2010/1-8/स्था., दिनांक 14-10-2010 द्वारा श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 13-09-2010 से 17-09-2010 तक 05 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 18-9-2010 से 25-9-2010 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 14-10-2010 के अनुसार यथावत् होगी.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्रमांक 2091/917/2010/1-8/स्था.—श्री सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग को दिनांक 9-10-2010 से 19-10-2010 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र दुबे को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-31/2010/सक/26.—राज्य शासन नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के अंतर्गत श्री इंदर चोपड़ा, सदर लाईन धमतरी को आयुक्त नि:शक्तजन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

2. इन्हें नियमानुसार शासन द्वारा देय भत्ते एवं अन्य सुविधाएं की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-10/2010/मबावि/50.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (2) एवं सहपठित धारा 4 में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्रीमती आर. विभाराव को आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (केन्द्रीय अधि. 2006 का 4) की धारा 17 (1) के प्रावधान अनुसार एतद्द्वारा श्री यशवंत जैन, अधिवक्ता, मरार पारा, बालोद, जिला दुर्ग को आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. इनका कार्यकाल आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्रमांक/4545/बी-8/11-1/2010/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011/01/2008-Credit-II, 13 अगस्त, 2010 द्वारा जारी प्रशासकीय निर्देश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य के 04 जिलों में चयनित फ़सलों (जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है) के लिये पायलट आधार पर रबी 2010-11 मौसम हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) लागू करती है. इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्यारेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी तथा आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड के माध्यम से किया जायेगा. योजना क्रियान्वयन में प्रीमियम अनुदान का भुगतान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि वर्ष 2010-11 से किया जाएगा.

(2) पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) रबी 2010-11 में निम्नलिखित जिलों में लागू होगा :—

जिला (1)	तहसील (2)	फसल बीमा कम्पनी का नाम (3)	फसल का नाम (4)
राजनांदगांव	राजनांदगांव, खैरागढ़	आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड	गेहूं एवं चना
कबीरधाम	कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर लोहारा	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमि.	चना
दुर्ग	बेमेतरा, साजा, नवागढ़, धमधा, बेरला	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमि.	गेहूं एवं चना

(1)		(2)	(3)	(4)
धमतरी	कुरूद		इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी.	गेहूं एवं चना

(3) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत एग्रीकल्चर इंश्यारेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी तथा आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड कम्पनी को देय कुल प्रीमियम राशि (जिसमें कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि भी सम्मिलित है) जोखिम अवधि, जोखिम, बीमा राशि, बीमा हेतु अंतिम तिथियों का जिलेवार, फसलवार एवं संदर्भित मौसम केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर है.

इस योजना का क्रियान्वियन रबी 2010-11 में निम्नानुसार किया जाएगा :—

(4) यह पायलट योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के केवल सभी अऋणी किसानों को उपलब्ध होगी. ऋणी कृषकों के लिए यह योजना उपलब्ध नहीं होगी.

(5) बीमित राशि लगभग कृषिं कार्य खर्च के बराबर रहेगी और बीमा एजेंसी द्वारा पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी. संबंधित एजेंसी का घोषणा परिशिष्ट-1 में उल्लेखित है. व्यक्तिगत कृषक के लिए बीमित राशि कृषकों द्वारा जोत के अंतर्गत अधिसूचित फसल के लिए रकबा (हेक्टर में) एवं अधिसूचना में दर्शायी गयी बीमित राशि का गुणांक होगा. जोत के अंतर्गत रकबा हमेशा हेक्टर में दर्शाया जाएगा.

[बीमा राशि जोत के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टर) X पूर्व निर्धारित बीमा राशि प्रति हेक्टर]

(6) किसान बीमा प्रस्ताव पत्र के प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की घोषणा करेगा.

(7) इस योजना का संचालन चयनित अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र के क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा. क्षेत्र दृष्टिकोण से आशय संदर्भ इकाई क्षेत्र से है, संदर्भित इकाई क्षेत्र को फसलों की जोखिम स्वीकार करने और मुआवजा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है. इसी प्रकार अधिसूचित संदर्भित इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल के सभी बीमित किसानों को उनकी बीमा शर्तों और मुआवजा आंकलन के संबंध में बराबर माना जाएगा.

(8) प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु संबंधित एजेंसी उत्तरदायी होगी. सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा.

(9) **दावा भुगतान प्रक्रिया :—**

(क) दावा राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा मौसम केन्द्र से प्राप्त आंकड़े व सरकार द्वारा कोष (प्रीमियम अनुदान) उपलब्ध कराने पर शीर्ष बैंक शाखा को बीमा अवधि समाप्त होने पर 45 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा.

(ख) चालू मौसम के आंकड़ों का स्रोत परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है.

(ग) मुआवजा प्रक्रिया स्वचालित होगी, संबंधित एजेंसी द्वारा मुआवजा आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़े के आधार पर किया जायेगा, बीमित कृषकों के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुए मुआवजा राशि स्वयं ही जमा करा दी जायेगी.

(10) अधिसूचित जिलों एवं फसलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत प्रायोजित फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन यथावत् किया जायेगा, किन्तु इन प्रयोगों के परिणाम का कोई असर मुआवजे की गणना अथवा भुगतान पर नहीं पड़ेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

Crop	Unit area	Weather Station	Back up W. S.	Cover	Risk Period	Sum Ins. Hr.	Sum Ins. P	Total Premium	Total Premium W	State sub. Wi	Central sub. Wi	Pre.+ S.T Per Hr. Farm	Last date of Ins.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Gram	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rain Fall, Temperature	16 Dec. to 31st March 2010	24375000	16250	1434	1434	538	538	358	15 December, 2010
Gram	Khairagarh	Khairagarh	Khairagarh	Rain Fall, Temperature									
Wheat	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Temperature, Rainfall	1st Jan. to 31st March 2011	40000000	20000	1765	1765	717	717	331	31st December, 2010
Wheat	Khairagarh	Khairagarh	Khairagarh	Temperature, Rainfall									

परिशिष्ट-1

एग्रीकल्चर इन्शोरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) मौसम रबी 2010-11
जिला-दुर्ग, कबीरधाम

फसल-चना

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2010-11 मौसम में (पायलेट) मौसम बीमा योजनांतर्गत देय प्रीमियम

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक (केवल अऋणी कृषक)	एआयसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक (केवल अऋणी कृषक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	चना	बेमेतरा	बेमेतरा	बेमेतरा	तापमान में वृद्धि रोगों एवं कृमि के लिए अनुकुल मौसम बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 दिसंबर से 14 फरवरी 1 जनवरी से 28 फरवरी 16 जनवरी से 15 मार्च	20000	1600	1764.80	661.80	661.80	441.20	31-12-2010	15-01-2011
2.	चना	धमधा	धमधा	धमधा	तापमान में वृद्धि रोगों एवं कृमि के लिए अनुकुल मौसम बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 दिसंबर से 14 फरवरी 1 जनवरी से 28 फरवरी 16 जनवरी से 15 मार्च	20000	1600	1764.80	661.80	661.80	441.20	31-12-2010	15-01-2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.	चना	नवागढ़	नवागढ़	नवागढ़	तापमान में वृद्धि रोगों एवं कृमि के लिए अनुकुल मौसम बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 दिसंबर से 14 फरवरी 1 जनवरी से 28 फरवरी 16 जनवरी से 15 मार्च	20000	1600	1764.80	661.80	661.80	441.20	31-12-2010	15-01-2011
4.	चना	साजा	साजा	साजा	तापमान में वृद्धि रोगों एवं कृमि के लिए अनुकुल मौसम बेमौसम्म वर्षा/अतिवृष्टि	1 दिसंबर से 14 फरवरी 1 जनवरी से 28 फरवरी 16 जनवरी से 15 मार्च	20000	1600	1764.80	661.80	661.80	441.20	31-12-2010	15-01-2011
5.	चना	बेरला	बेरला	बेरला	तापमान में वृद्धि रोगों एवं कृमि के लिए अनुकुल मौसम बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 दिसंबर से 14 फरवरी 1 जनवरी से 28 फरवरी 16 जनवरी से 15 मार्च	20000	1600	1764.80	661.80	661.80	441.20	31-12-2010	15-01-2011
6.	चना	कवर्धा	कवर्धा	कवर्धा	तापमान में वृद्धि रोगों एवं कृमि के लिए अनुकुल मौसम बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 दिसंबर से 14 फरवरी 1 जनवरी से 28 फरवरी 16 जनवरी से 15 मार्च	20000	1600	1764.80	661.80	661.80	441.20	31-12-2010	15-01-2011
7.	चना	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	तापमान में वृद्धि रोगों एवं कृमि के लिए अनुकुल मौसम बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 दिसंबर से 14 फरवरी 1 जनवरी से 28 फरवरी 16 जनवरी से 15 मार्च	20000	1600	1764.80	661.80	661.80	441.20	31-12-2010	15-01-2011
8.	चना	सहसपुर लोहारा	सहसपुर लोहारा	सहसपुर लोहारा	तापमान में वृद्धि रोगों एवं कृमि के लिए अनुकुल मौसम बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 दिसंबर से 14 फरवरी 1 जनवरी से 28 फरवरी 16 जनवरी से 15 मार्च	20000	1600	1764.80	661.80	661.80	441.20	31-12-2010	15-01-2011

परिशिष्ट-1

एग्रीकल्चर इन्शोरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) मौसम रबी 2010-11

जिला-दुर्ग

फसल-गेहूं

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2010-11 मौसम में (पायलेट) मौसम बीमा योजनांतर्गत देय प्रीमियम

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक (केवल अऋणी कृषक)	एआयसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक (केवल अऋणी कृषक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	गेहूं	बेमेतरा	बेमेतरा	बेमेतरा	तापमान में वृद्धि अधिकतम तापमान बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 फरवरी से 31 मार्च 1 जनवरी से 31 जनवरी 1 फरवरी से 15 अप्रैल	20000	1600	1764.80	716.95	716.95	330.90	31-12-2010	15-01-2011
2.	गेहूं	धमधा	धमधा	धमधा	तापमान में वृद्धि अधिकतम तापमान बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 फरवरी से 31 मार्च 1 जनवरी से 31 जनवरी 1 फरवरी से 15 अप्रैल	20000	1600	1764.80	716.95	716.95	330.90	31-12-2010	15-01-2011
3.	गेहूं	नवागढ़	नवागढ़	नवागढ़	तापमान में वृद्धि अधिकतम तापमान बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 फरवरी से 31 मार्च 1 जनवरी से 31 जनवरी 1 फरवरी से 15 अप्रैल	20000	1600	1764.80	716.95	716.95	330.90	31-12-2010	15-01-2011
4.	गेहूं	साजा	साजा	साजा	तापमान में वृद्धि अधिकतम तापमान बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 फरवरी से 31 मार्च 1 जनवरी से 31 जनवरी 1 फरवरी से 15 अप्रैल	20000	1600	1764.80	716.95	716.95	330.90	31-12-2010	15-01-2011
5.	गेहूं	बेरला	बेरला	बेरला	तापमान में वृद्धि अधिकतम तापमान बेमौसम वर्षा/अतिवृष्टि	1 फरवरी से 31 मार्च 1 जनवरी से 31 जनवरी 1 फरवरी से 15 अप्रैल	20000	1600	1764.80	716.95	716.95	330.90	31-12-2010	15-01-2011

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2010-11

जिला धमतरी

परिशिष्ट-1 (प्रपत्र)

क्रमांक	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	प्रीमियम+ सेवा कर सहित प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक (केवल अऋणी कृषक)	घोषणा पत्र प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक केवल अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	गेहूं	कुरूद तहसील	NCMSL स्वचलित मौसम केन्द्र कुरूद	IMD मौसम केन्द्र धमतरी	अधिक या बेमौसम वर्षा एवं उच्च तापमान कवर	1 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011	20000	1765/-	717/-	717/-	331/-	31 दिसंबर 2010	31 दिसंबर 2010
2.													
3.	चना					16 दिसंबर 2010 से 28 फरवरी 2011	16000	1412/-	528/-	528/-	353/-	15 दिसंबर 2010	15 दिसंबर 2010
4.													

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 01 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ-5-58/दो/आठ-परि./2010.—निम्नलिखित पारस्परिक यातायात करार जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (6) (केन्द्रीय अधिनियम-59/1988) के तहत छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्य के मध्य प्रस्तावित पारस्परिक यातायात समझौता दिनांक 31.07.2008 को सम्पन्न हुआ। जिसका छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 29 अगस्त 2008 में प्रकाशित कर, 30 दिवस के अंदर प्रारूप करार के संबंध में प्रस्ताव अथवा अभ्यावेदन मंगाया गया था। प्रस्तावित प्रारूप के प्रकाशन पश्चात् कोई भी प्रस्ताव अथवा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (6) (केन्द्रीय अधिनियम- 59/1988) के अनुशरण में प्रदत्त शक्तियों के तहत् छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्य द्वारा निष्पादित करार प्रकाशित करता है।

यह करार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

बिहार सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य पारस्परिक स्थायी परिवहन समझौता वर्ष 2010

यह करार दिनांक 31.07.2008 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल तथा बिहार के राज्यपाल के बीच किये गये करार के आलोक में अंतिम करार किया जाता है।

छत्तीसगढ़ एवं बिहार एक दूसरे से सटे हुए पड़ोसी राज्य हैं इन दोनों पड़ोसी राज्य के बीच अवस्थित विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गो पर परिवहन वाहनों के आवागमन को प्रोत्साहित करने, वाहन परिचालन को नियमित एवं नियंत्रित करने तथा आम यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने के साथ साथ आंतरिक संरचना को बल प्रदान करने के उद्देश्य से और उद्योग एवं व्यापार के विकास तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक परिवहन समझौता किया जाय।

इसीलिए दिनांक 31.07.2008 को हुए समझौता को हू-ब-हू लागू करने के बिन्दु पर दोनों राज्यों के परिवहन सचिवों के बीच दिनांक 01.10.2010 को निम्नांकित बिन्दुओं पर पारस्परिक सहमति हुई।

सुविधाजनक संदर्भ के लिए बिहार राज्य द्वारा दोनों राज्यों के बीच अवस्थित कुल 17 अन्तर्राज्यीय मार्गो की सूची उपलब्ध कराई गई है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से इन मार्गो के अतिरिक्त कुल 11 मार्गो की सूची उपलब्ध कराई है। इस तरह दोनों राज्यों के बीच अवस्थित विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गो की कुल संख्या 28 होती है। इस सूची में विभिन्न राज्यों में मार्गो की दूरी एवं परमिटों की संख्या दर्शायी गई है।

दोनों राज्यों में से किसी राज्य के पहल पर इस समझौता के अधीन या उनसे अतिरिक्त मार्गो पर आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से यथा अपेक्षित संख्या में परमिट स्वीकृत किया जा सकेगा।

दोनों पक्षकारों के बीच सहमति निम्न प्रकार से है:-

यह पारस्परिक समझौता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तदर्थ निर्गत अंतिम अधिसूचना की तिथि से लागू होगा और तब तक मान्य रहेगा, जब तक दोनों राज्यों के बीच कोई नया समझौता न हो जाये।

1. करों का निर्धारण:-

(i) पारस्परिक समझौता के तहत संबंधित राज्य में समय-समय पर लागू अधिनियमों/नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गतनिर्गत होगा।

(ii) समझौता के तहत सभी श्रेणी के परिवहन वाहनों के लिए द्वि-कर (double point) करारोपण प्रणाली लागू होगी। यह द्वि-कर प्रणाली नवीकरण के लंबमान अवधि में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 87 के तहत निर्गत परमिट एवं उसके प्रतिहस्ताक्षर पर भी लागू होगी, परन्तु दोनों राज्यों का मोटरयान कर दोनों राज्यों में प्रभावी मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत देय होगा।

(iii) कर अपवंचन की प्रवृति पर नियंत्रण पाने के लिये दोनों राज्यों के बीच इस बिन्दु पर पारस्परिक सहमति हुई कि परमिट निर्गत करने वाला प्रत्येक प्राधिकार परमिट का निर्गमन तभी करेगा जब आवेदक दूसरे संबद्ध राज्य (प्रतिहस्ताक्षर करने वाला राज्य) का कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी अन्य बैंक जो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है, में संबंधित राज्य के खाता

में जमा कर देता है और परमिट निर्गत करने वाला प्राधिकार इस कर का वास्तविक भुगतान को सम्पुष्टि कर लेता है। राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को फैक्स के माध्यम से लिये गये कर की विवरणी यथा बैंक ड्राफ्ट की संख्या, बैंक ड्राफ्ट राशि एवं परमिटधारी का नाम आदि हर माह भेज देंगे। प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकार, जब तक कोई आपत्तिजनक सूचना प्राप्त न हो वैधानिक रूप से परमिट का प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

(iv) स्टेज-कैरेज, ठेका परमिट एवं मालवाहक परमिट आदि निर्गत करने वाला मूल प्राधिकार संबंधित राज्य को कर एवं बकाये कर वसूली में हर संभव सहयोग करेंगा। यदि दूसरे राज्य में आवेदक कर प्रमादी हो तो उसे कोई परमिट निर्गत नहीं किया जाएगा।

(v) अंतर्राज्यीय मार्गो पर परमिट का नवीकरण वाहन का प्रतिस्थापन या अंतर्राज्यीय परमिट के प्रत्यर्पण की स्वीकृति के पूर्व प्रत्येक संबद्ध राज्य को जांचोपरान्त यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों राज्यों को देय कर का नुकसान नही हो। परमिट के निरंतरता की जांच 15.11.2000 से ही की जाएगी, एवं तद्नुसार यह निर्धारित किया जाएगा कि आवेदक द्वारा सम्यक रूप से दोनों राज्यों को देय कर का भुगतान किया गया है अथवा नहीं। परमिट लेने हेतु आवेदक को बैंक खाता संख्या का प्रमाण देना दोनों राज्यों में प्रतिहस्ताक्षर हेतु अनिवार्य होगा।

(vi) अस्थायी/विशेष/ठेका परमिट को निर्गत करने वाला प्राधिकार उपरोक्त कंडिका (iii), (iv) एवं (v) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(vii) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले यानों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरयानों को जो अनन्यतः एक राज्य के स्वामित्व ब्दारा और सरकार के प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाये पारस्परिक करारकर्ता राज्य में समस्त करो के संदाय से छूट प्राप्त होगी।

2. **लोकसेवा यान मंजिली यात्री बसों (स्टेज कैरिज का संचालन) का परमिटः-**

(i) मार्गो की उपलब्ध सूची में मार्ग की लंबाई के संबंध में किसी प्रकार की कोई खामी का पता चलने पर दोनो संबद्ध राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार आपसी पत्राचार के द्वारा इसे दूर करेंगे और यह समझौते का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसी तरह की पद्धति दोनों राज्यों के बीच पड़ने वाले अंतर्राज्यीय मार्ग विशेष में अधिकतम 24 कि0मी0 तक विस्तार या कटौती पर अपनायी जाएगी।

(ii) स्थायी परमिट की वैधानिक मान्यता पांच वर्षो की होती है। सरकारी राजस्व की क्षति पर नियंत्रण के उद्देश्य से दोनों पक्षों के बीच इस बिन्दु पर सहमति हुई कि स्थायी परमिट पांच वर्षो का निर्गत होगा लेकिन परमिट के साथ-साथ प्राधिकारण पत्र (परिचालन प्रमाण-पत्र)/अनुशंसा-पत्र भी निर्गत किया जाएगा, जो कर भुगतान की तिथि तक मान्य रहेगा। परिचालन प्रमाण पत्र की मान्य अवधि समाप्त होने पर बिना उसके विस्तारण के वाहन का परिचालन नहीं हो सकेगा।

(iii) किसी वाहन का परिचालन के संबंध में वही अधिकतम यात्री एवं माल भाड़ा वसूल किया जा सकता है, जो संबंधित राज्यों की सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जावेगा। एक राज्य द्वारा निर्गत टिकट दूसरे राज्य में मान्य होगी।

(iv) परमिट प्रतिहस्ताक्षर के निलंबन अथवा रद्द करने की सूचना पनरमिट निर्गत करने वाले प्राधिकार को दी जावेगी, ताकि दूसरे राज्य का परिचालन की व्यवस्था की जा सकें।

(v) परिशिष्ट ''क'' में दर्शित सभी 28 मार्गो की दूरी 100 कि.मी. से अधिक होने के कारण उन पर संचालित सभी बस सेवाये द्रुतगामी बस सेवा (एक्सप्रेस सेवा) होगी।

(vi) इस समझौता में दर्शाये गये मार्गो के अतिरिक्त अन्य जनोपयोगी मार्गो की जानकारी प्राप्त होने पर उसे अगले अंतरिम समझौते में शामिल कर लिया जाएगा।

(vii) वर्ष-1979, 1988 तथा 1996 जिसमें केवल वर्ष-1979 के समझौते को ही अंतिम रूप दिया गया था, परन्तु वर्ष-1988 एवं वर्ष-1996 को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, लेकिन स्थायी परमिट स्वीकृत किये गये है, उसे मान्यता प्रदान करते हुए परमिट के नवीनीकरण/प्रतिहस्ताक्षर दोनों राज्य यथावत करते रहेगे।

(viii) आम यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों पक्ष निम्नांकित बिन्दुओं पर सहमत हुए कि यदि पर्यावरण प्रदूषण अथवा अन्य विधान/नियमों से बाधिक न हो तो

(क) ऐसे यात्री वाहन जिनका व्हील बेस 205 इंच से कम हो, परमिट स्वीकृत नहीं किये जायेगें परन्तु वर्ष-1979, वर्ष-1988 तथा वर्ष-1996 के समझौते के तहत स्थायी परमिट स्वीकृत किये

गये हैं, ऐसे अनुज्ञा पत्र धारकों को शर्त के अनुसार पारस्परिक यातायात समझौता के पश्चात संबंधित राज्यों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर वाहन का प्रतिस्थापन कराना अनिवार्य होगा।

(ख) 08 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों को अंतर्राज्यीय मार्गो पर परमिट की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। परन्तु वर्ष-1979, वर्ष-1988 एवं वर्ष-1996 के समझौते के तहत स्थायी परमिट स्वीकृत किये गये हैं ऐसे अनुज्ञा पत्र धारकों को शत के अनुसार पारस्परिक यातायात समझौता के पश्चात संबंधित राज्यों के राज्य पत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के अंदर वाहन का प्रतिस्थापन कराना अनिवार्य होगा।

(ix) परिशिष्ट "क" में उललेखित मार्गो पर जब तक राज्य परिवहन प्राधिकार व्दारा स्थायी परमिट स्वीकृत नहीं किये जाते हैं तब तक दोनों राज्यों व्दारा अस्थायी परमिट स्वीकृति/प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

3. विशेष परमिटः-

(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के तहत पर्यटन के उद्देश्य से शादी के अवसर, स्थल दर्शन, बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा एवं धार्मिक उद्देश्य से निर्गत होने वाले विशेष परमिट संबद्ध राज्य के प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त कंडिका 1 की उप कंडिका (i) से (vi) का अनुपालन करते हुए अधिकतम 30 दिनों के लिए पूरी अवधि में मात्र एक अप (जाने) एवं एक डाउन (वापसी) खेप के लिए दिया जाएगा।

(ii) ऐसे विशेष परमिटों के साथ यात्रियो की सूची संबद्ध राज्य के प्राधिकार द्वारा अनुमोदित होगी। इस सूची के साथ पार्टी द्वारा विस्तृत यात्रा प्रोग्राम भी दिया जाएगा, जो प्राधिकार से अनुमोदित होगा। यात्रियों की सूची एवं यात्रा प्रोग्राम दो प्रतियों में, देय होगा। इसका संक्षिप्त विवरण परमिट पर भी अंकित किया जाएगा। इन सूचनाओं के अभाव में परमिट अमान्य रहेगा। सभी प्रकार के कर/फीस इत्यादि के भुगतान/वसूली के संबंध में पूर्ण उल्लेख परमिट पर अंकित रहेगा।

4. ठेका परमिट (अस्थायी) :-अस्थायी ठेका परमिट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1)(क) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार दूसरे राज्य परिवहन प्राधिकार की सहमति के बिना उपर्युक्त कंडिका 1 की उप कंडिका (i) से (vi) का अनुपालन करते हुए अधिकतम दो सप्ताह के लिए पूरी अवधि में मात्र एक अप एक डाउन ट्रिप निम्नांकित शर्तो के अंतर्गत निर्गत किये जा सकते है:-

(i) वाहन किसी व्यक्ति द्वारा भाड़ा पर लिया गया हो और यात्रा एक जाने एवं एक लौटने के लिए हो।

(ii) परमिट पर जाने एवं लौटने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होगी।

(iii) दोनों संबद्ध राज्यों के प्रारंभ एवं पहुंच स्थान के बीच किसी बिन्दु पर यात्रियों को चढ़ाने-उतराने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में अगर किसी वाहन के परमिट की मान्य अवधि संबद्ध राज्य में समाप्त हो जाती है, तो नियमानुसार संबद्ध राज्य नया अस्थायी परमिट दे सकता है।

(v) वाहन के निबंधित बैठान क्षमता से अधिक तथा स्टैन्डिंग पोजीशन (खड़ी सवारी) में यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) ऐसे अस्थायी ठेका परमिटों के साथ यात्रियों की सूची संबद्ध राज्य के प्राधिकार के द्वारा अनुमोदित होगी। इस सूची के साथ पार्टी द्वारा विस्तृत यात्रा प्रोग्राम भी दिया जाएगा। जो प्राधिकार से अनुमोदित इसका संक्षिप्त विवरण परमिट पर भी अंकित किया जाएगा। इन सूचनाओं के अभाव में परमिट अमान्य रहेगा। सभी प्रकार के कर/फीस इत्यादि के भुगतान/वसूली के संबंध में पूर्ण उल्लेख परमिट पर अंकित रहेगा।

(vii) अस्थायी ठेका परमिट निर्गमन हेतु दूसरे राज्य के लिए भुगतान किया गया मोटर वाहन कर तथा अतिरिक्त मोटर वाहन कर किसी दूसरे राज्य/अन्य परमिट पर हस्तांतरित या समायोजित नहीं होगा।

5. माल वाहन परमिट (स्थायी) :-दोनों राज्यों के बीच माल की ढुलाई को सुगम बनाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों की नियमित तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से निम्नांकित बिन्दुओं पर सहमति हुई:-

(i) उपर्युक्त कंडिका-1 की उप कंडिका (i) से (vi) का अनुपालन करते हुए बिहार एवं छत्तीसगढ़ में से प्रत्येक राज्य द्वारा पांच हजार (5,000) की अधिकतम संख्या तक मालवाहन परमिट का निर्गमन किया

जाएगा, तथा दूसरे संबद्ध राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जा सकेगा। यह प्रतिहस्ताक्षर सभी राष्ट्रीय एवं राज्य के उच्च पथ से 50 कि0मी0 की दूरी तक अलगाव (Deviation) मार्ग के लिए मान्य होगा, जो औद्योगिक केन्द्र या निर्माण केन्द्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक है।

(ii) किसी तेल कंपनी उनके अधिकृत अभिकर्ता या ठेकेदार द्वारा स्वामित्व प्राप्त किए पेट्रोल टैंकर को परमिट का प्रतिहस्ताक्षर बिना कोई संख्या के रोक लगाए संबद्ध राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में परिचालन हेतु पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए किया जाएगा। यह प्रतिहस्ताक्षर संबद्ध राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

(iii) ऐसे परमिट प्राप्त मालवाहन या पेट्रोल टैंकर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के राज्य में माल का यदि उठाव किया जाता है तो उसी राज्य में उसका अनलोडिंग नहीं किया जाएगा।

(iv) केवल विशिष्ठ प्रकृति के माल ढोने के लिए एक राज्य बिना किसी संख्या बंधेज के मालवाहन परमिट (स्थायी) का निर्गमन कंडिका-1 की उप कंडिका (i) से (vi) का अनुपालन करते हुए करेंगे तथा दूसरे संबद्ध राज्य का राज्य परिवहन प्राधिकार पारस्परिक राज्य की अनुशंसा पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

(v) मालवाहन परमिट के मामले में प्रतिहस्ताक्षर के लिए अनुशंसा आवेदक के व्यापार की विंश्वसनीयता की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किया जाएगा।

(vi) प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसी गाड़ियों का व्यापार इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्ट के रूप में नहीं किया जाएगा।

6. **माल वाहन परमिट (अस्थायी)**:- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-87 के तहत् दो राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय मार्ग पर परिचालन हेतु उपर्युक्त कंडिका-1 की उप कंडिका (i) से (vi) अनुपालन करते हुए अधिकतम 30 दिवस की अवधि के लिए अस्थायी परमिट का निर्गमन प्रतिहस्ताक्षर के बिना संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा निम्नांकित शर्तों पर किया जा सकेगा:-

(i) पारस्परिक राज्य के क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले किसी दो बिन्दुओं के बीच कोई माल उठाया/उतारा नहीं जाएगा अर्थात ऐसी गाड़ियों का व्यवहार संबद्ध राज्य के क्षेत्रांतर्गत इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्ट के रूप में नहीं किया जाएगा।

(ii) यह अस्थायी परमिट दो टर्मिनल को जोड़ने वाले सीधे एवं न्यूनतम मार्ग के लिए निर्गत किया जाएगा, तथा संबंधित राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा लागू किये गए शर्तों के अंतर्गत होगा।

7. **नियम**:-पारस्परिक समझौता के तहत् परिचालित होने वाले वाहन दूसरे संबंधित राज्य में वहां के मोटर वाहन अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों का पालन करेंगे।

8. **सामान्य**:-

(i) समझौता के अंतर्गत परिचालित की जाने वाली परिवहन गाड़ियॉ संबद्ध राज्यों द्वारा निर्धारित लदान क्षमता, उसके व्हील बेस या बैठान क्षमता आदि के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करेगी और ऐसे वाहन संबद्ध राज्य द्वारा लगाए गए अन्य प्रतिबंध जो समय-समय पर लागू किये जायेंगे का पालन करेगी।

(ii) इस समक्षौते के क्रियान्वयन में उत्पन्न किसी कठिनाई का समाधान दोनों राज्य आपसी सहमति से कर सकेंगे।

हस्ता./-
(एन0के0 असवाल)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग,
छत्तीसगढ़-रायपुर

हस्ता./-
(उदय सिंह कुमावत)
सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार-पटना

परिशिष्ट- "क"

क्र.	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी (कि.मी. में)				फेरों की संख्या		परमिट संख्या	
		छत्तीसगढ़	झारखण्ड	बिहार	कुल दूरी	छत्तीसगढ़	बिहार	छत्तीसगढ़	बिहार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंबिकापुर से बोधगया व्हाया रामानुजगंज, औरंगाबाद, डोभी	110	69	192	371	06	06	06	06
2.	जशपुर से राजगीर व्हाया गुमला, कुरू, चतरा, गया, हिसुआ	26	112	222	360	06	06	06	06
3.	रायगढ़ से सासाराम व्हाया धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, अंबिकापुर, डाल्टेनगंज, औरंगाबाद, डिहरी	308	124	89	521	04	06	04	06
4.	पटना से अंबिकापुर व्हाया जहानाबाद, गया, शेरघाटी, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज	110	204	166	480	06	06	06	06
5.	पटना से अंबिकापुर व्हाया बिहटा, अरबल, दाउदनगर, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज	110	219	81	410	04	04	04	04
6.	जशपुर से सासाराम व्हाया औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, लातेहार, कुरू, लोहरदगा, गुमला	26	89	241	356	04	04	04	04
7.	भभुआ से अंबिकापुर व्हाया सासाराम, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज	110	127	157	394	04	04	04	04
8.	आरा से अंबिकापुर व्हाया विक्रमगंज, सासाराम, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज	110	244	76	430	04	04	04	04
9.	डिहरीऑनसोन से जशपुर व्हाया औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, कुरू, लोहरदगा, गुमला	26	77	262	365	04	04	04	04
10.	डिहरीऑनसोन से अंबिकापुर व्हाया औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, गढ़वा	110	77	126	313	04	04	04	04
11.	पटना से जशपुर व्हाया बिहारशरीफ, बरही, हजारीबाग, रॉची, लोहरदगा, गुमला	26	147	331	504	06	06	06	06
12.	भागलपुर से जशपुर व्हाया देवघर, गिरीडीह, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा	26			463	02	04	02	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	छपरा से कोरबा व्हाया पटना, औरंगाबाद, डाल्टनगंज, अंबिकापुर, घाटधरी	248			576	02	04	02	04
14.	पटना से कुनकुरी व्हाया व्हाया कुरूडेग, सिमडेगा, गुमला, चतरा, डोभी, गया, जहानाबाद	60			413	02	04	02	04
15.	बक्सर से जशपुर व्हाया सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, डाल्टनगंज, लातेहार, चंदवा, कुडु, गुमला, घाघरा	26			475	02	04	02	04
16.	आरा से जशपुर व्हाया विक्रमगंज, सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, डाल्टनगंज, लातेहार, चंदवा, कुडु, गुमला, घाघरा	26			465	02	04	02	04
17.	सासाराम से कोरबा व्हाया डेहरी, औरंगाबाद, डाल्टनगंज, गढ़वा, रामानुजगंज, अंबिकापुर	375			588	02	04	02	04
18.	छपरा से जशपुर व्हाया पटना, तीलरांची, लोहरदगा, सिवान	26			582	02	04	02	04
19.	दरभंगा से कुनकुरी व्हाया बख्तियारपुर, हजारीबाग, रांची, गुमला	60			635	02	04	02	04
20.	मोतिहारी से जशपुर व्हाया बख्तियारपुर, रांची, हजारीबाग	26			704	02	04	02	04
21.	बेगूसराय से कुनकुरी व्हाया रांची, बख्तियारपुर, सिमडेगा	60			572	02	04	02	04
22.	भागलपुर से कुनकुरी व्हाया देवघर, गिरीडीह, हजारीबाग, रांची, बेड़ा, गुमला, जशपुर	60			690	02	04	02	04
23.	सिवान से बगीचा व्हाया मीरगंज, मोतिपुर, अंबिकापुर	108			727	02	04	02	04
24.	मुजफ्फरपुर से जशपुर व्हाया पटना, बख्तियारपुर, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सिसई, गुमला	26			612	02	04	02	04
25.	पटना से अंबिकापुर व्हाया सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, गढ़वारोड, रामानुजगंज	110			369	04	04	04	04
26.	सिवान से जशपुर व्हाया पटना, हजारीबाग, रांची	26			641	02	04	02	04
27.	जशपुर से जयरागी व्हाया शंख, मांझाटोली, पतराटोली, चैनपुर	26			126	02	04	02	04
28.	बिहारशरीफ से अंबिकापुर व्हाया नवादा, रांची, कुरू, लातेहार, डाल्टनगंज, रामानुजगंज	110	75	342	527	06	06	06	06

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1–22/09/35/स्था.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग तृतीय श्रेणी (तकनीकी/अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :–

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग तृतीय श्रेणी (तकनीकी/अलिपिक वर्गीय) दुग्ध सेवा भरती नियम, 2009 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पद हेतु नियुक्ति करने के लिए नामांकित किया जाये ;

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अंतर्गत सेवा में भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा ;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(ङ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधत अधिसूचना क्र. एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर. 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग ;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग सेवा तृतीय श्रेणी (तकनीकी/अलिपिक वर्गीय) सेवा ;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;

(ट) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित समिति ;

3. **विस्तार तथा लागू होना** :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन** :– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् –

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमो के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों ।

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** :– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची – एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी ।

परन्तु सरकार,, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका** :–

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या चयन द्वारा, सीधी भरती द्वारा ;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची–चार के कालम (2) में दर्शित है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक/स्थानापन्न हैसियत से धारण करते हो, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायेगी ।

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार,, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किया गया हैं, ऐसे तरीके अपना सकेगी, जो वह इस संबध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें ।

(5) सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों के लिये मेरिट के आधार पर चयन के लिये शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किये जायेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित किया जाना चाहिए, जो इन मापदण्डो के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगा ।

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति** :– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें** :– परीक्षा में प्रतियोगिता या चयन किये जाने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(1) **आयु** –

(क) परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची–तीन के कालम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधो के अनुसार महिला अभ्यार्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(घ) उन अभ्यार्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुये, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जावेगी :–

(एक) ऐसा अभ्यार्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों सहित, ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से घोतक हैं, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी जो, भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु–सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से घोतक हैं, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास तक की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें ;
    (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
    (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) एसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो ;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं ;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियो को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम दो वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(छ) जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पांडें पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी स्थिति में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

टीप :–

(1) उपरोक्त खण्ड (ग) (एक) एवं (ग) (दो) में बर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे ।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार किसी एक या एक से अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) **शैक्षणिक अर्हतायें** :— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शाई गयीं है ।

(3) **फीस** :— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हता** :— अभ्यार्थी की ओर से अपनी अभ्यार्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा** :— चयन के लिये किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी अभ्यार्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती** :—

(1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** — नियुक्ति प्राधिकारी, एक चयन समिति का कठन करेगा, जिसमें तीन सदस्य होंगे ।

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के परामर्श से समय–समय पर निर्धारित करें ।

(दो) परीक्षा सरकार द्वारा समय–समय पर, जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी ।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** :—

(एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये ।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जायेगा ।

(तीन) चयन समिति का गठन समुचित समय अन्तरालों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यार्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के सदस्य है, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यार्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रेंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यार्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपनियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यार्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे ।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए अनुभव की कुछ कालावधि आवश्यक शर्त के रूप में विहित की गई है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा ।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यार्थियों की सूची :-

(1) चयन समिति उन अभ्यार्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा की चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये, गुणागुण (मेरिट) क्रम में व्यवस्थित एक सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यार्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा । यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जावेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हो ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट सदस्य होंगे ।

परन्तु इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों मे होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति की जायेगी ।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमाए) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा ।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें :-

(1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पद/सेवा में या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) अनुसूची-चार के कालम (4) में दर्शित कालावधि पूर्ण कर ली हो ।

स्पष्टीकरणः- पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :-

(1) संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर

संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) पदोन्नति के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध लागू होंगे ।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :–**

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियमं 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची, सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार की जायेगी

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची–चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखे जायेंगे ।

स्पष्टीकरण :– ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उनके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया हैं, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा ।

16. **चयन सूची :–**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कालम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए, चयन सूची होगी ।

(2) चयन सूची समान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रुप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :–**

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में सूची में आये उनके नाम के क्रम के अनुसार की जायेगी ।

(2) साधारणतया उस व्यक्ति का, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख की बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

18. **परिवीक्षा** :– सेवा में सीधी भर्ती या पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन** :– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण** :– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है ।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनूकुल हो ।

21. **व्यावृत्ति** : – इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी ।

22. **निरसन और व्यावृत्ति** :– इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा, निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप सचिव.

अनुसूची – एक
(नियम–5 देखिये)

दुग्ध सेवा तृतीय श्रेणी (तकनीकी/अलिपिक वर्गीय) सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	टिप्पणी
		स्थायी	अस्थायी	योग				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पारी प्रबंधक	05	–	05	तृतीय श्रेणी, तकनीकी/ अलिपिक वर्गीय	9300–34800	4200/–	–
2	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक ग्रेड– I	06	–	06	तृतीय श्रेणी, तकनीकी/ अलिपिक वर्गीय	5200–20200	2800/–	–
3	दुग्ध मिस्त्री	10	–	10	तृतीय श्रेणी, तकनीकी/ अलिपिक वर्गीय	5200–20200	2400/–	–
4	पर्यवेक्षक ग्रेड – II	08	–	08	तृतीय श्रेणी, तकनीकी/ अलिपिक वर्गीय	5200–20200	2400/–	–
5	पर्यवेक्षक ग्रेड – III	21	–	21	तृतीय श्रेणी, तकनीकी/ अलिपिक वर्गीय	5200–20200	2200/–	–
6	प्रयोगशाला सहायक	02	–	02	तृतीय श्रेणी, तकनीकी/ अलिपिक वर्गीय	5200–20200	1900/–	–
7	वाहन चालक	12	–	12	तृतीय श्रेणी,	5200–20200	1900/–	–

अनुसूची – दो

(नियम–6 देखिये)

स. क्र.	पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			टिप्पणीयां
			सीधी भरती व्दारा	पदोन्नति व्दारा	स्थानांतरण व्दारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पारी प्रबंधक	05	100 %	–	–	–
2	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक ग्रेड – I	06	–	100 %	–	–
3	दुग्ध मिस्त्री	10	100 %	–	–	प्रथम बार 100 % संयंत्र चालक के कर्त्तव्य पदों से भरे जायेंगे।
4	पर्यवेक्षक ग्रेड – II	08	–	100 %	–	–
5	पर्यवेक्षक ग्रेड – III	21	100 %	–	–	दो बार चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/दुग्ध परिचारक) के कर्मचारियों से लगातार 100 % पदोन्नति से भरे जायेंगे जो इस पद पर 10 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों तथा हायर सेकेन्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण हो।
6	प्रयोगशाला सहायक	02	100 %	–	–	–
7	वाहन चालक	12	100 %	–	–	प्रथम बार चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/दुग्ध परिचारक) के कर्मचारियों की लगातार 100 % पदोन्नति से भरे जायेंगे जो इस पद पर 15 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों एवं वाहन चालक के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखते हो।

अनुसूची – तीन
(नियम–8 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	नियुक्ति प्राधिकारी	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग	पारी प्रबंधक	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें	हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण तथा भारत या विदेश से मान्यता प्राप्त संस्था से डेयरी डिप्लोमा या समकक्ष
2		दुग्ध मिस्त्री	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शीतलन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) उत्तीर्ण । अभ्यर्थी के पास दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। "शीतलन इंजीनियरिंग" में डिग्री धारक अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
3		पर्यवेक्षक ग्रेड – III	21 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें	किसी मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय / संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक।
4		प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें	हायर सेकेण्डरी (10+2) विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण । विज्ञान संकाय से स्नातक उपाधि धारी को प्राथमिकता दी जावेगी।
5		वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें / उप दुग्ध आयुक्त, डेयरी विकास विभाग.	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ व्यवसायिक वाहन चालन का वैध लाईसेन्स।

अनुसूची – चार
(नियम–14 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हैं	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हैं	पात्रता कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणीयां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पर्यवेक्षक ग्रेड – II	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक ग्रेड – I	03 वर्ष	1. संचालक पशु चिकित्सा सेवा – अध्यक्ष 2. उप दुग्ध आयुक्त डेयरी सेवा – सदस्य संचालनालय 3. उप दुग्ध आयुक्त डेयरी सेवा – सदस्य	–
2	पर्यवेक्षक ग्रेड – III	पर्यवेक्षक ग्रेड – II	05 वर्ष	1. संचालक पशु चिकित्सा सेवा – अध्यक्ष 2. उप दुग्ध आयुक्त डेयरी सेवा – सदस्य संचालनालय 3. उप दुग्ध आयुक्त डेयरी सेवा – सदस्य	–

Raipur, the 21st September 2010

No. F 1-22/09/35/Estt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment of Chhattisgarh Animal Husbandry and Dairy Development Department Class III (Technical and Non-Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. Short title and commencement —

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Animal Husbandry and Dairy Development Department Class-III (Technical and Non-Ministerial) Dairy Services Recruitment Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions — In these rules, unless the context otherwise, requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means such authority nominated by the Government to make appointment to services or posts ;

(b) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh,

(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh.

(e) "Other Backward Classes," means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26-12-84 as amended from time to time,

(f) "Schedule" means the schedule appended to these Rules,

(g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under article 341 of the Constitution of India,

(h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under article 342 of the Constitution of India,

(i) "Services" means the Chhattisgarh Animal Husbandry and Dairy Development Department Class III (Technical and Non-Ministerial) Services,

(j) "State" Means the State of Chhattisgarh,

(k) "Selection committee" means the committee approved by government for direct recruitment.

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.**— The Service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the schedule – I;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification and scale of pay, etc.**— The classification of the Service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be specified in the Schedule – I;

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment .**—

(1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) By direct recruitment, by Competitive Examination or by Selection;

(b) By promotion of members of the service as shown in column (2) of Schedule IV;

(c) By transfer/deputation of persons who hold in substantive/substitutive capacity such posts in such services as may be specified this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in Sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the Service so require the Government may, with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for Selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However Appointing Authority should set up a selection committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes Reservation) Act 1994, and the directions issued by General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service** — All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**— In order to be eligible for compete at the examination/ selection, candidate must satisfy the following conditions namely.-

(1) **Age** -

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III, and must not have attained the age as specified in column (5) of said Schedule, on the first day of January next following the date of commencement of the examination/ selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if candidate belongs to a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years to a women candidate in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (special provisions for appointment of women) Rule 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below.—

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a temporary post, including work charged employees, person getting pay from contingency and person employed in Project Implementation committee, applies for any other post should not be more than 38 years in age.

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation — The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six month and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions,

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on
  (a) Completion of short term engagement
  (b) Full filling the condition of enrolment;

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit,

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short-service Regular Commissioned Officers),

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to be come efficient soldiers,

(7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(8) Ex-Servicemen invalidated out of service.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of two years for those candidates who are holding green card under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of superior caste partner of a couple awarded under the Inter-Caste Marriage Incentive programme of the Tribal, Scheduled caste and Backward classes welfare Department.

(h) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of the Shaheed Rajiv Pande Award, Gundadhur and Maharaja Praveer Chand Bhanjdeo awards holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The general upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of Service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years and the instruction issued from time to time by General Administration Department regarding age limit will be applicable.

Note- (1) Candidates, who are admitted to the examination/ selection under the concessions mentioned in clause (c) (i) and (c) (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the applications, they resign from service either before of after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

Note- (2) In no other case will these age limit be relaxed, Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination/ selection.

(k) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more then one category mentioned above.

(2) **Educational qualifications :—** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fee:—** The Candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.—** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.—** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination / Selections.—**

(1) **Direct Recruitment by Competitive Examination :-** Appointing authority will constitute a selection committee comprising of three members.

(i) The Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority in consultation with the government, from time to time determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) **Direct Recruitment by Selections:-**

(i) The Selection for direct recruitment to the service will be held at such intervals as determined by Appointing Authority.

(ii) The Selection of candidates will be done by the selection committee based on interview.

(iii) Selection committee will be constituted by the appointing authority at appropriate time intervals.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam. 1994 (No.21 of 1994) and order issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule-12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the committee to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3).

(6) 30% posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services, (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility, that the candidate belonging to the Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for handicapped candidates shall be in accordance with the direction of the General Administration Department.

12. **List of candidates recommended by the Committee.—**

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the selection committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, though not qualified by that standard, but declared by the Selection committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that, the candidates is. suitable in all respects for appointment to the Service.

13. **Appointment by Promotion—**

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members specified in Schedule-IV for making a Preliminary selection for promotion of eligible candidates.

Provided that for the purpose of the constitution of the committee under this sub-rule the provisions of section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aor Anya Pichhade Wargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam. 1994 (No, 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be as per the Chhattisgarh Public service (Promotion) Rules, 2003.

(4) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Sivil Service (Reservation in Promotion and limits on the extent of zone of consideration) Rules, 2003.

14. **Conditions of eligibility for promotion.—** The Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year, had completed the period of service shown in column (4) of schedule-IV (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in column (2) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government.

Explanation.–

(1) **Manner of computation for eligibility for promotion—** The calculation of period of qualifying service on first January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) In the matter of promotion, the provisions of Chhattisgarh Public service (Promotion) Rules, 2003 shall be applicable.

15. **Preparation of list of suitable Candidate—**

(1) The committee shall prepare a list of such person as satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provision of Chhattisgarh Public service (Promotion) Rules, 2003.

(3). As per the provisions of Chhattisgarh Civil Services (General Condition of services) Rule 1961 the name of person included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation — The person whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Select List** —

(1) The list as finally approved by the Appointing authority shall be Select List for promotion of the members of service to the posts mentioned in column (2) of schedule-IV to the posts as mentioned in column (3) of the said schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force for the period of one year from the date of its preparation.

Provided that, in the event of grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the Select List, a special review of the Select List may be made at the instance of the Government may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select List.

17. **Appointment to the Service from the Select List** —

(1) Appointment of the employees included in the Select list shall be made to the posts of service cadre according to serial ordered of their name listed in The Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the selection Committee before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.**— Every person directly recruited by or promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.**— If any question arise relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision there on shall be final.

20. **Relaxation.**— Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable;

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

22. **Repeal and saving.**— All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

Classification of Dairy Services Class III (Technical and Non-Ministerial) Service , Pay scale and Number of Post included in the Service

S. No.	Name of the posts included in the Service	Number of Total post			Classification	Scale of Pay	Grade pay	Remarks
		Per.	Temp.	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Shift Manager	05	-	05	Class-III (Technical/ Non- Ministerial)	9300-34800	4200/-	-
2	Field Supervisor Grade-I	06	-	06	Class-III (Technical/ Non- Ministerial)	5200-20200	2800/-	-
3	Dairy Machenic	10	-	10	Class-III (Technical/ Non- Ministerial)	5200-20200	2400/-	-
4	Supervisor Grade-II	08	-	08	Class-III (Technical/ Non- Ministerial)	5200-20200	2400/-	-
5	Supervisor Grade-III	21	-	21	Class-III (Technical/ Non- Ministerial)	5200-20200	2200/-	-
6	Laboratory Assistant	02	-	02	Class-III (Technical/ Non- Ministerial)	5200-20200	1900/-	-
7	Driver	12	-	12	Class-III (Technical/ Non- Ministerial)	5200-20200	1900/-	-

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

S. No.	Name of the posts	Number of Post	Percentage of Posts to be filled			Remarks
			By direct recruitment	By promotion	By transfer	
1	2	3	4	5	6	7
1	Shift Manager	05	100%	-	-	-
2	Field Supervisor Grade-I	06	-	100%	-	-
3	Dairy Machenic	10	100%	-	-	First Time it will be filled 100% by the working posts of Plant Operator
4	Supervisor Grade-II	08	-	100%	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5	Supervisor Grade-III	21	100%	-	-	Consecutive Twice time it will be filled by 100% by promotion of Class IV Employees (Peon/ Dairy Attendant), who has been completed 10 year of service on this post and Higher Secondary Examination (10+2) passed.
6	Laboratory Assistant	02	100%	-	-	-
7	Driver	12	100%	-	-	First time it will be filled by 100% by promotion of Class IV Employees (Peon/ Dairy Attendant), who has been completed 15 year of service on this post. And the Candidate must have the minimum qualification Determined for the post of Driver

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

S. No. 1	Name of Department 2	Name of Post 3	Minimum age limit 4	Maximum age limit 5	Appointing Authority 6	Educational qualifications prescribed 7
1	Animal Husbandry & Dairy Development Department	Shift Manager	18 Yrs.	35 Yrs.	Director of Vety. Services	Passed Higher Secondary (10+2) Examination and Dairy Diploma From Recognized Institution of India or foreign or equalant.
2		Dairy Mechanic	18 Yrs.	35 Yrs.	Director Of Vety. Services	ITI in Chilling from any recognized Institution. Candidate must have minimum two year experience. Preference will be given to the candidate, who has Degree in "Chilling Engineering"
3		Supervisor Grade-III	21 Yrs.	35 Yrs.	Director Of Vety. Services	First Class Graduate in any recognized university/ Institution

1	2	3	4	5	6	7
4		Laboratory Assistant	18 Yrs.	35 Yrs.	Director of Vety. Services	Passed Higher Secondary From Science faculty. Graduate from Science faculty, will be preferred.
5		Driver	18 Yrs.	35 Yrs.	Director Veterinary Services/ Deputy Milk Commissioner Dairy Development Department.	Passed 8th Class with the Legal commercial Driving License.

SCHEDULE - IV
(See Rule 14)

S. No.	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Name of Service or Post to which promotion is to be made	Eligibility Period	Name of member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Supervisor Grade-II	Field Supervisor Grade-I	03 Years.	1. Director of Vety. Serices - Chairman 2. Deputy Milk Commissioner Dairy Services, (Head Quatrer) - Member 3. Deputy Milk Commissioner Dairy Services - Member	-
2	Supervisor Grade-III	Supervisor Grade-II	05 Years.	1. Director of Vety. Serices - Chairman 2. Deputy Milk Commissioner Dairy Services, (Head Quatrer) - Member 3. Deputy Milk Commissioner Dairy Services - Member	-

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ-1-5/25-2/2003/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (ख) (1) में निहित प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ से राज्य सभा सदस्य श्रीमती मोहसिना किदवई को, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड, रायपुर का सदस्य नियुक्त करता है.

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 15 में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती मोहसिना किदवई का सदस्य, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पद पर कार्यकाल नियुक्ति दिनांक से 5 वर्ष के लिए होगा.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ-17/2007/25-1/आजाक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 3 (2) के तहत डॉ. कृष्ण मूर्ति बांधी, मस्तूरी, बिलासपुर को पदभार ग्रहण की तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ-17/2007/25-1/आजाक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्प संख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री दिलीप सिंह होरा, रायपुर को पदभार ग्रहण की तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अल्प संख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ-17/2007/25-1/आजाक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा आदेशित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्त संबंधी विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 में अंकित छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1996 के स्थान पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 6-110/2005/वाक (आब)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री देवजी भाई पटेल, फाफाडीह, गंज, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, गोविन्द नगर, पंडरी, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. श्री पटेल की नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-1/2010/16.—नगरपालिका परिषद् बैकुंठपुर जिला कोरिया (छ. ग.) में आम निर्वाचन 2010 हेतु दिनांक 23 दिसम्बर 2010 (गुरुवार) को संपन्न होगा. उक्त निर्वाचन हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अवकाश घोषित करता है.

ऐसे कारखानों जो सप्ताह में सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखानें निरन्तर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वस्तिक, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक 25-7/2010/नौ/55.—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्र. 37 सन् 1954) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों, जो कि विहित अर्हताएं रखते हैं और राज्य सरकार द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कार्य कर रहे हैं, को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	व्यक्तियों के नाम (2)	पदनाम (3)
1.	डॉ. अश्वनी कुमार देवांगन	चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी, रायपुर
2.	डॉ. रंजन श्रीवास्तव	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, रसमड़ा, दुर्ग
3.	डॉ. अजय शंकर कन्नौजे	चिकित्सा अधिकारी, विधायक विश्रामगृह चिकित्सालय, रायपुर
4.	डॉ. अनिल कुमार शुक्ला	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, नगपुरा, दुर्ग
5.	डॉ. दुलार सिंह नरेटी	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, केंवटी, कांकेर
6.	डॉ. डी. पी. ध्रुवे	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, शिवतराई, बिलासपुर
7.	डॉ. कमलेश कुमार खेरवार	चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र, करगीकला, बिलासपुर
8.	डॉ. डुमेश्वर सिंह ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, नारायणपुर
9.	डॉ. विनोद कुमार भोयर	चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, नारायणपुर
10.	डॉ. नमीत नन्दे	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, संबलपुर, रायगढ़
11.	डॉ. एन.पी. गोंड़	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, केरा, जांजगीर-चांपा.
12.	डॉ. एम. के. मनहर	चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र, सारंगढ़, रायगढ़
13.	डॉ. सी.डी. बाखला	चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र, बगीचा, जशपुर
14.	डॉ. राजेश कुमार शुक्ला	चिकित्सा अधिकारी, शहरी दवाखाना, सकरी, बिलासपुर
15.	डॉ. थलेश्वर सिंह तंवर	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, श्यांग, कोरबा

(1)	(2)	(3)
16.	डॉ. सिलबेस्तर तिर्की	चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र, कांसावेल, जशपुर
17.	डॉ. सुनील खेस्स	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, पत्थलगांव, जशपुर
18.	डॉ. एस. के. जामगड़े	चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र, धमधा, दुर्ग
19.	डॉ. आर. के. सिंह	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, कोंडागांव, बस्तर
20.	डॉ. आर. के. कुरूवंशी	चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र, बागबाहरा, महासमुन्द
21.	डॉ. एच. एल. ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र, गीदम, दंतेवाड़ा
22.	डॉ. डी. के. सिन्हा	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, पिथौरा, महासमुन्द
23.	डॉ. उदयनाथ दीवान	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, झलप, महासमुन्द
24.	डॉ. ए. आर. बंजारे	चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र, चकरभाटा, बिलासपुर
25.	डॉ. संजय मेश्राम	चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र, घुमका, राजनांदगांव
26.	डॉ. एम. एल. बाचोकर	चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र, पंडरिया, कबीरधाम

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 25-7/2010/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 15th December 2010

No. F 25-7/2010/IX/55.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (No. 37 of 1954), the State Government hereby appoints following Medical Officers, having prescribed qualification and working under the Chief Medical and Health Officer by the State Government, as Food Inspectors to exercise powers under the said Act in the whole State of Chhattisgarh, namely :—

S. No. (1)	Name of persons (2)	Designation (3)
1.	Dr. Ashwani Kumar Dewangan	Medical Officer, PHC, Toshgaon, Mahasamund
2.	Dr. Ranjan Shrivastava	Medical Officer, PHC, Rasamara, Durg
3.	Dr. Ajay Shankar Kannoje	Medical Officer, MLA R.H. Hospital, Raipur
4.	Dr. Anil Kumar Shukla	Medical Officer, PHC, Nagpura, Durg
5.	Dr. Dular Singh Nareti	Medical Officer, PHC, Kenwti, Kanker
6.	Dr. D. P. Dhruwe	Medical Officer, PHC, Shivtarai, Bilaspur
7.	Dr. Kamlesh Kumar Kherwar	Medical Officer, CHC, Kargikala, Bilaspur

(1)	(2)	(3)
8.	Dr. Dumeshwar Singh Thakur	Medical Officer, District Hospital, Narayanpur
9.	Dr. Vinod Kumar Bhoir	Medical Officer, District Hospital, Narayanpur
10.	Dr. Namit Nande	Medical Officer, PHC, Sambalpur, Raigarh.
11.	Dr. N. P. Gond	Medical Officer, PHC, Kera, Janjgir-Champa.
12.	Dr. M. K. Manhar	Medical Officer, CHC, Sarangarh, Raigarh
13.	Dr. C. D. Bakhla	Medical Officer, CHC, Bageecha, Jashpur
14.	Dr. Rajesh Kumar Shukla	Medical Officer, City Dispensary, Sakri, Bilaspur
15.	Dr. Thaleshwar Singh Tanwar	Medical Officer, PHC, Shyang, Korba
16.	Dr. Silbester Tirkey	Medical Officer, CHC, Kansavel, Jashpur
17.	Dr. Sunil Xess	Medical Officer, PHC, Patthalgaon, Jashpur
18.	Dr. S. K. Jamgade	Medical Officer, CHC, Dhamdha, Durg
19.	Dr. R. K. Singh	Medical Officer, PHC, Kondagaon, Bastar
20.	Dr. R. K. Kuruwanshi	Medical Officer, CHC, Bagbahra, Mahasamund
21.	Dr. H. L. Thakur	Medical Officer, CHC, Geedam, Dantewada
22.	Dr. D. K. Sinha	Medical Officer, PHC, Pithora, Mahasamund
23.	Dr. Udainath Diwan	Medical Officer, PHC, Jhalap, Mahasamund
24.	Dr. A. R. Banjare	Medical Officer, PHC, Chakarbhata, Bilaspur
25.	Dr. Sanjay Meshram	Medical Officer, CHC, Ghumka, Rajnandgaon
26.	Dr. M. L. Bachokar	Medical Officer, CHC, Pandariya, Kabirdham.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/11/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आनंद तिवारी, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को पारिवारिक कारणों से दिनांक 23-12-2010 से दिनांक 01-01-2011 तक कुल 10 दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 02-01-2011 का शासकीय विज्ञप्त अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री आनंद तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री आनंद तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनंद तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/65/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. एम. अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर छ. ग. को नियमानुसार खंड वर्ष 2006-09 में निम्नानुसार सपरिवार भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 19-12-2010 से दिनांक 26-12-2010 तक कुल 08 दिवस के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए चेन्नई जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की अनुमति प्रदान करता है :—

1. श्रीमती स्मिता अवस्थी (पत्नी) 2. चि. विश्रुत (पुत्र) 3. चि. अच्युत अवस्थी (पुत्र)

2. श्री डी. एम. अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री डी. एम. अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. एम. अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

5. श्री डी. एम. अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर छ. ग. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 31011/4/2008-Esst. (A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार 10 दिवस (दस दिवस) का अर्जित अवकाश समर्पित करने की अनुमति दी जाती है.

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अर्जित अवकाश का समायोजन अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवापुस्तिका में कर दी गई है.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/147/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा, छ. ग. को नियमानुसार खंड वर्ष 2006-09 में निम्नानुसार सपरिवार भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 20-12-2010 से दिनांक 27-12-2010 तक कुल 08 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 17-19 दिसंबर 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए रायपुर से कलकत्ता, बागडोगरा, नई दिल्ली जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1. श्रीमती शालिनी रैना छाबड़ा (पत्नी) 2. कु. अनुषा (पुत्री)

2. डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा, छ. ग. के अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. एल. ध्रुव, सेनानी, 11वीं वाहिनी, छ. स. बल, जांजगीर-चांपा को सौंपा जाता है.

3. डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते दये होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर डा. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

6. डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा, छ. ग. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 31011/4/2008-Esst. (A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार 08 दिवस (आठ दिवस) का अर्जित अवकाश समर्पित करने की अनुमति दी जाती है.

7. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अर्जित अवकाश का समायोजन अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवापुस्तिका में कर दी गई है.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/05/दो-गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे (2004), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय रायपुर को दिनांक 23-10-2010 से दिनांक 30-10-2010 तक कुल 08 दिवस के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे (2004), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे (2004), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगी.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे (2004), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय रायपुर छ. ग. अवकाश पर नहीं जातीं तो कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/13/दो-गृह/भापुसे/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राहुल भगत, भापुसे (2005), पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर को पारिवारिक कारणों से दिनांक 13-12-2010 से दिनांक 24-12-2010 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 25 और 26 दिसंबर 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठानें की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री राहुल भगत, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री जी. एस. दर्रो, सेनानी, 8वीं वाहिनी, छसबल, राजनांदगांव को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

3. श्री राहुल भगत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री राहुल भगत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल भगत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/86/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. सी. पटेल, भापुसे (1990), महानिरीक्षक, नगर सेना, रायपुर, छ. ग. को दिनांक 18-11-2010 से दिनांक 24-11-2010 तक कुल 07 दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना है.

2. श्री आर. सी. पटेल, भापुसे (1990), महानिरीक्षक, नगर सेना, रायपुर छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. पटेल, भापुसे (1990), महानिरीक्षक, नगर सेना, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. पटेल, भापुसे (1990), महानिरीक्षक, नगर सेना, रायपुर छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-69/दो/गृह/परीक्षा/2010.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18-08-2010 को प्रश्न पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री हर्षित मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री आनंद कुमार डोंगरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-71/दो/गृह/परीक्षा/2010.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया" प्रश्न पत्र-1 (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्राप्तांक (4)
1.	श्री प्रकाश कुमार नेताम	वन क्षेत्रपाल	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-73/गृह-दो/परीक्षा/2010.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुशील कुमार सोनवानी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री हर्षित मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री आनंद कुमार डोंगरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-74/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री समीर विश्नोई	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री प्रियंका शुक्ला	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री किरण कौशल	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री सौमिल रंजन चौबे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
5.	श्री अवनीश कुमार शरण	सहायक कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-76/गृह-दो/परीक्षा/2010.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि प्रश्नपत्र-2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी

को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री एम. मर्सी बेला	परिवीक्षाधीन अधिकारी	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-77/गृह-दो/परीक्षा/2010.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि प्रश्नपत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
2.	श्री प्रकाश कुमार नेताम	वनक्षेत्रपाल	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-86/गृह-दो/परीक्षा/2010.—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री सरोज सिंह कंवर	सहायक संचालक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री मोहन सिंह कंवर	सहायक संचालक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-96/गृह-दो/परीक्षा/2010.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्नपत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न

परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री एम. मर्सी बेला	परिवीक्षाधीन अधिकारी	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-101/गृह-दो/परीक्षा/2010.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "Electrical Installation"-Paper-III (Without Books) विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री, उप अभियंता एवं पर्यवेक्षकों के लिये विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री चंद्रकांत	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-102/गृह-दो/परीक्षा/2010.—ऊर्जा विभाग के सहायक अभियंता/उप अभियंता/(डिग्री/डिप्लोमाधारियों) के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 अगस्त, 2010 को प्रश्नपत्र-4 "लेखा व स्थापना" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री निर्मला मौर्या	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री चंद्रकांत	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-104/दो/गृह/परीक्षा/2010.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र- "Insulation Co-ordination & Hazardous Area (Without Books) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री, उप अभियंता एवं पर्यवेक्षकों के लिये सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री निर्मला मौर्या	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-105/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सहा. कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्रसंयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री प्रियंका शुक्ला	सहायक कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री समीर विश्नोई	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	श्री अवनीश कुमार शरण	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-57/गृह-दो/परीक्षा/2010.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुशील कुमार सोनवानी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	सुश्री नीता दीवान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री अहिल्या मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री दीप्ति मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री आनंद कुमार डोंगरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री सुरेन्द्र पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री शैलेन्द्र पाटले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री हर्षित मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-59/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 अगस्त, 2010 को "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" द्वितीय प्रश्न पत्र दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
2.	श्री अवनीश कुमार शरण	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-68/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "समाज शिक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री माघमी साहू	उप अंकेक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री अंजलि मानकर	पंचायत एवं समाज शिक्षा	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री मुकेश कुमार दिवाकर	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री शरद चंद तिवारी	आक्यूपेशनल थरोपिस्ट	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री मोहित कुमार जायसवाल	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	सुश्री सुनीता तिर्की	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	जिला-अंकेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री श्यामसुन्दर रैदास	काउन्सलर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय	काउन्सलर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
10.	श्री कमल सिंह भदौरिया	परिवीक्षा अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
11.	श्री शैलेश कुमार भगत	जिला-आडिटर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा	
12.	श्री हेमराज सोनबेर	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री राजकुमार ध्रुवा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
14.	सुश्री अंजना रोस बेक	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
15.	सुश्री रजनी डोंगरे	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-72/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री ओम प्रकाश चन्देल	अनु. पुलिस अधिकारी	उत्तीर्ण
2.	श्री उगेश कुमार कश्यप	नगर पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री रोहित कुमार झा	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री दौलत राम	अनु. अधिकारी पुलिस	उत्तीर्ण
5.	श्री कमलेश्वर प्रसाद चन्देल	पुलिस अनु. अधिकारी	उत्तीर्ण
6.	श्री हरीश यादव	पुलिस अनु. अधिकारी	उत्तीर्ण
7.	श्री माहेश्वर नाग	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
8.	श्री कीर्तन कुमार राठौर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
9.	श्री मुकेश ठाकुर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
10.	श्री लखन लाल पटले	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
11.	सुश्री वर्षा मेहर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
12.	श्री अनिल कुमार सोनी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
13.	श्री अभिषेक वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
14.	श्री संजय कुमार महादेवा	पुलिस उप अधीक्षक	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
15.	श्री तारकेश्वर पटेल	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
16.	श्री जय प्रकाश बढ़ई	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
17.	श्री अंशुमान सिंह सिसोदिया	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
18.	श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	उत्तीर्ण
19.	डॉ. संगीता पीटर्स महिलकर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
20.	श्री संतोष कुमार बोरकर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
21.	सुश्री अमृता सोरी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
22.	श्री प्रतिपाल सिंह बागरी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
23.	अनन्त कुमार साहू	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुंजा	
24.	सुश्री प्रज्ञा मेश्राम	सहायक सेनानी	उत्तीर्ण
25.	सुश्री सुरेश चौबे	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
26.	श्री जयदेव कोसले	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
27.	सुश्री मोनिका ठाकुर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
28.	श्री संजय कुमार ध्रुव	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
29.	सुश्री मधुलिका सिंह	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
30.	श्री गोपी चंद मेश्राम	नगर पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-75/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "पुलिस शांखा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री ओम प्रकाश चन्देल	पुलिस अनु. अधिकारी	उत्तीर्ण
2.	श्री उमेश कुमार कश्यप	नगर पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री देवनारायण पटेल	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री हरीश यादव	अनु. अधि. पुलिस	उत्तीर्ण
5.	श्री दौलत राम	अनु. अधि. पुलिस	उत्तीर्ण
6.	श्री कमलेश्वर प्रसाद चन्देल	एस. डी. ओ. पी.	उत्तीर्ण
7.	श्री अनिल कुमार सोनी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
8.	श्री मुकेश ठाकुर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	श्री अभिषेक वर्मा	अनु. अधि. पुलिस	उत्तीर्ण
10.	श्री रोहित कुमार झा	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
11.	श्री माहेश्वर नाग	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
12.	सुश्री वर्षा मेहर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
13.	श्री कीर्तन कुमार राठौर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
14.	श्री लखन लाल पटले	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
15.	श्री संजय कुमार महादेवा	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
16.	श्री तारकेश्वर पटेल	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
17.	श्री जयप्रकाश बढ़ई	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
18.	श्री अंशुमान सिंह सिसोदिया	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
19.	श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	उत्तीर्ण
20.	डॉ. संगीता पीटर्स महिलकर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
21.	श्री संतोष कुमार बोरकर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
22.	सुश्री अमृता सोरी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
23.	श्री प्रतिपाल सिंह बागरी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
24.	श्री अनन्त कुमार साहू	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा		
25.	सुश्री सुरेश चौबे	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
26.	श्री जयदेव कोसले	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
27.	सुश्री मधुलिका सिंह	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
28.	सुश्री प्रज्ञा मेश्राम	सहायक सेनानी	उत्तीर्ण
29.	श्री गोपी चंद मेश्राम	सी. एस. पी.	उत्तीर्ण
30.	श्री संजय कुमार ध्रुव	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
31.	सुश्री मोनिका ठाकुर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-83/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "प्रथम लेखा" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री सुनीता तिर्की	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री मोहित कुमार जायसवाल	पं. एवं स. शि. संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री बीना दीक्षित	पं. एवं स. शि. संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय	काउन्सलर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री शरद चंद तिवारी	आक्यूपेशनल थेरपिस्ट	सश्रेय से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा	
6.	सुश्री अंजना रोस बेक	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री हेमराज सोनबेर	पं. एवं सं. शि. संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री राज कुमार ध्रुवा	पं. एवं सं. शि. संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	सुश्री विभावना चन्द्राकर	काउन्सलर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-98/दो-गृह/परीक्षा/2010.—सभी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री माहेश्वर नाग	अनु. पुलिस अधिकारी	उत्तीर्ण
2.	सुश्री वर्षा मेहर	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री ओमप्रकाश देशमुख	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	उत्तीर्ण
4.	श्री मुकेश ठाकुर	अनु. पुलिस अधिकारी	उत्तीर्ण
5.	डॉ. दीपक अग्रवाल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
6.	डॉ. तोरण लाल साहू	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
7.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार मरकाम	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
8.	डॉ. नीतू गौरडिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
9.	सुश्री सरोज सिंह कंवर	सहायक संचालक	उत्तीर्ण
10.	डॉ. सुमित गर्ग	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
11.	डॉ. उपासना साहू	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
12.	डॉ. ज्योत्सना पटेल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
13.	श्री सुशील कुमार सोनवानी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उत्तीर्ण
14.	डॉ. कैलाश कुमार ध्रुवे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
15.	श्री सुरेन्द्र कुमार कुर्रे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
16.	श्री एम. मर्सी बेला	परिवीक्षाधीन अधिकारी	उत्तीर्ण
17.	सुश्री दीप्ति किरण बारा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
18.	डॉ. गायत्री देवांगन	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	श्री दौलत राम	अनु. अधिकारी पुलिस	उत्तीर्ण
20.	डॉ. अंजू शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
21.	डॉ. अजुम रानी लाल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
22.	डॉ. कल्पना दुबे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
23.	श्री डोमार सिंह वर्मा	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	उत्तीर्ण
24.	सुश्री अमृता सोरी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा	
25.	श्री हेमराज सोनबेर	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	उत्तीर्ण
26.	श्री राज कुमार ध्रुवा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	उत्तीर्ण
27.	श्री संजय कुमार ध्रुव	सी.एस.पी.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-61/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "समाज कल्याण" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री श्याम सुन्दर रैदास	काउंसलर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री सुनीता तिर्की	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री मोहित कुमार जायसवाल	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री बीना दीक्षित	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा	
5.	सुश्री विभावना चन्द्राकर	काउंसलर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री राजकुमार ध्रुवा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	सुश्री अंजना रोस बेक	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-62/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 एवं 18 अगस्त, 2010 को "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्नपत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्नपत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री प्रियंका शुक्ला	सहायक कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री सौरभ कुमार	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री समीर विश्नोई	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
4.	श्री अवनीश कुमार शरण	सहायक कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-66/गृह-दो/परीक्षा/2010.—उद्योग विभाग के लियें राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों, राज्य की नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री त्रिलोक चन्द्र मेवाड़े	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-70/गृह-दो/परीक्षा/2010.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "वन विधि" प्रश्नपत्र-1 (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री एम. मर्सी बेला	परिवीक्षाधीन अधिकारी	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-78/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री मोहित कुमार जायसवाल	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय	काउंसलर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री सुनीता तिर्की	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
4.	श्री शैलेश कुमार भगत	जिला-आडिटर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा		
5.	श्री राज कुमार ध्रुवा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री हेमराज सोनबेर	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-81/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व, सहायक जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षकों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौमिल रंजन चौबे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री प्रियंका शुक्ला	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	श्री अवनीश कुमार शरण	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-103/गृह-दो/परीक्षा/2010.—ऊर्जा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र-5 ऊर्जा विभाग के प्रश्नपत्र "स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री डी. पी. सिंह	सहायक अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
3.	श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी	सहायक अभियंता	उत्तीर्ण
4.	श्री सतपाल सिंह कँवर	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-90/दो/गृह/परीक्षा/2010.—पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 अगस्त, 2010 को प्रश्नपत्र "लेखा" प्रथम प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

सरल क्रमांक (1)	परीक्षार्थियों का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. नीतू गौरडिया	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार कुर्रे	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	डॉ. आर. के. पडोटी	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	डॉ. निधि तिवारी	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	डॉ. अमित कुमार तिवारी	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	डॉ. प्रीति सिंह	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	डॉ. ओम प्रकाश दीनानी	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	डॉ. कन्हैया लाल मैत्री	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	डॉ. आनंद कुमार जैन	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	डॉ. मयंक पटेल	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	डॉ. विजय प्रताप सिंह जगत	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	डॉ. नीरज टंडन	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-99/गृह-दो/परीक्षा/2010.—ऊर्जा विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 अगस्त, 2010 को प्रश्नपत्र "विद्युत संबंधी विधियां" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री चंद्रकांत	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	सुश्री निर्मला मौर्या	उप अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
3.	श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी	सहा. अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-54/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 अगस्त, 2010 को प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौरभ कुमार	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री अवनीश कुमार शरण	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
3.	श्री बिहारी लाल जुर्री	अधीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-55/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 अगस्त, 2010 को प्रश्नपत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री राम कुमार धिलाहरे	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	पंजीयक लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री किरण खलखो	रिकार्ड कीपर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
4.	श्री बल्देव सिंह पिस्दा	उप पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री पूर्णानन्द पटेल	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्रमांक-एफ 3-7/तीन-जेल/2008.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

शब्द "जेल महानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं", शब्द "जेलर" के स्थान पर शब्द "उप जेल अधीक्षक (राजपत्रित)" एवं शब्द "सहायक जेलर तथा उप जेलर" के स्थान पर शब्द "सहायक जेल अधीक्षक" प्रतिस्थापित किया जाए.

No.-F 3-7/Three-Jail/2008.—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. IX of 1894) the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

For the words "Inspector General, Prisons" the words "Director General Prisons and Correctional Services", for the word "Jailor" the words "Deputy Superintendent of Prison (Gazetted)" and for the words "Assistant Jailor and Deputy Jailor" the words "Assistant Superintendent of Prison" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एच. सिद्दिकी, अवर सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-9-10/2010/त.शि./42.—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर सोसायटी को पंजीकृत किया गया है. सोसायटी के कार्यों के प्रबंधन के लिए राज्य शासन, एतद्द्वारा सोसायटी के रेग्युलेशन के अन्तर्गत जनरल बॉडी एवं कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नानुसार करता है :—

जनरल बॉडी :—

1.	मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन.	अध्यक्ष
2.	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.	सदस्य
3.	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग.	सदस्य
4.	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग.	सदस्य
5.	मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग.	सदस्य
6.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन.	सदस्य
7.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.	सदस्य
8.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग.	सदस्य
9.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग.	सदस्य
10.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग.	सदस्य
11.	महानिदेशक नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम्स, कोलकाता.	सदस्य
12.	कुलपति, तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई.	सदस्य

13. कुलपति, सदस्य
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर.

14. उद्योगपति (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) सदस्य

15. पत्रकार (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) सदस्य

16. महानिदेशक, सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर सोसायटी.

कार्यकारिणी समिति :—

1. मंत्री, अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य
छत्तीसगढ़ शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.

3. महानिदेशक, सदस्य
छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर सोसायटी.

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सदस्य
वन विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर.

5. मुख्य अभियंता, सदस्य
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर.

6. मुख्य अभियंता, सदस्य
लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर.

7. विभागाध्यक्ष, सदस्य
भौतिकी विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर.

8. विभागाध्यक्ष, सदस्य
रसायन विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर.

9. विभागाध्यक्ष, सदस्य
जैविकी विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर.

10. विभागाध्यक्ष, सदस्य
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर.

11. विभागाध्यक्ष, सदस्य
सिविल अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर.

12. चार्टर्ड एकाउन्टेंट (मनोनीत) सदस्य

13. नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम्स के एक प्रतिनिधि. सदस्य

14. कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर सोसायटी. सदस्य सचिव

No. F-9-10/2010/T.E./42.—Chhattisgarh Regional Science Centre Society has been registered under Chhattisgarh Society Registration Act, 1973 on 29th September, 2010. To manage the affairs of the society the State Government, hereby constitutes the following General Body and Executive Committee under the regulation of the Society :—

General Body :—

1.	Chief Minister, Government of Chhattisgarh.	President
2.	Minister, Government of Chhattisgarh, Science & Technology.	Member
3.	Minister, Government of Chhattisgarh, Finance Department.	Member
4.	Minister, Government of Chhattisgarh, Home Department.	Member
5.	Minister, Government of Chhattisgarh, Culture Department.	Member
6.	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh.	Member
7.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Science & Technology.	Member
8.	Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department.	Member
9.	Secretary, Government of Chhattisgarh, Home Department.	Member
10.	Secretary, Government of Chhattisgarh, Culture Department.	Member
11.	Director General, National Council of Science Museums, Kolkata.	Member
12.	Vice Chancellor, Technical University, Bhilai.	Member
13.	Vice Chancellor, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.	Member
14.	Industrialist (Nominated by President)	Member
15.	Journalist (Nominated by President)	Member
16.	Director General, Chhattisgarh Regional Science Centre Society.	Member Secretary

Executive Committee

1.	Minister, Government of Chhattisgarh, Science & Technology.	Chairman

2.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Science & Technology.	Member
3.	Director General, Chhattisgarh Regional Science Centre Society.	Member
4.	Principal Chief Conservator of Forests, Forest Department, Chhattisgarh, Raipur.	Member
5.	Chief Engineer, Water Resource Department, Chhattisgarh, Raipur.	Member
6.	Chief Engineer, Public Works Department, Chhattisgarh, Raipur.	Member
7.	Head, Department of Physics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.	Member
8.	Head, Department of Chemistry, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.	Member
9.	Head, Department of Life Sciences, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.	Member
10.	Head, Department of Information Technology, National Institute of Technology, Raipur.	Member
11.	Head, Department of Civil Engineering, National Institute of Technology, Raipur.	Member
12.	Chartered Accountant (Nominated)	Member
13.	A Representative of National Council of Science Museums	Member
14.	Executive Director, Chhattisgarh Regional Science Centre Society.	Member Secretary

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त स त्र, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2010

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	हर्राडीपा प. ह. नं. 5	0.555	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	सरडीह तालाब योजना के नहर निर्माण में आने वाली भूमि का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1427/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	भालूकोन्हा	0.02	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहरनाली निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्रमांक/2295/अ.भू-अ.प्र./01/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	सेमरिया प. ह. नं. 17	0.097	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	पहुंच मार्ग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 26 नवम्बर 2010

रा. प्र. क्र. 03 अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	कामनबोड़ प. ह. नं. 55	2.890	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ. ग.)	कर्रानाला बैराज में अमलीडीह वितरक नहर में अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	हरेठी कलाँ प.ह.नं. 24	0.134	कार्यपालन अभियन्ता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	जमड़ी हरेठीकला मार्ग पर सोननदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्रमांक 16562/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	नैला प.ह.नं. 48	0.121	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, चांपा संभाग, चांपा.	जांजगीर, नैला रोड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्रमांक/01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	कोसीर प.ह.नं. 16	0.174	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ. ग.)	कोसीर मार्ग पर लीलागर नदी पर सेतु पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	घोराघाटी प. ह. नं. 17	2.875	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लातनाला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सेमरापाली प. ह. नं. 17	2.114	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लातनाला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र./11647/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	हज्जूटोला प. ह. नं. 04	7.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	हालमकोड़ो जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र./11648/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	हालमकोड़ो प. ह. नं. 03	5.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	हालमकोड़ो जलाशय केनाल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र./11649/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	हालमकोड़ो प. ह. नं. 03	1.41	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	हालमकोड़ो जलाशय उलट नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र./11650/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	खैरबना प. ह. नं. 10	18.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	खैरबना जलाशय के बांधपार, सड़क व डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्रमांक 18/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	धनगवां	1.692	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

क्रमांक 6/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोरजा	6.953	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	गांगपुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्रमांक 4/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोरजा	2.115	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय कन्हारी एवं कोरजा सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्रमांक 10/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंधियारखोह	2.211	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेमरहा जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्रमांक 05/अ-82/2010-11/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	कुटेला	0.860	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	विद्या एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 01/अ-82/2010-11/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	सोंठी	1.500	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामवतार जलाशय दायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 02/अ-82/2010-11/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जेवरा	0.846	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	जेवरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 03/अ-82/2010-11/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पाराघाट	1.142	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	देवगांव व्यपवर्तन बायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 04/अ-82/2010-11/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	खुडूभाठा	1.134	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	देवगांव व्यपवर्तन बायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 06/अ-82/2010-11/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	करमा	0.081	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	आनंदसागर जलाशय बांधपार निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 07/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	धनौरा	0.864	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 08/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मरवाही	1.555	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 08/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कुम्हारी	14.321	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक 1/अ-82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	साल्हेघोरी	3.939	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	छेरीछापर जलाशय के बांध, डूब एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक 18/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पथर्रा	0.225	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक 19/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोलबिर्रा	0.343	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्रमांक 2031/वा/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2010. —चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोनार, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.43 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
29/1	0.12
29/2	0.12
29/3	0.12
29/4	0.12
29/5	0.23
29/6	0.17
31/1	0.15
31/2	0.15
31/3	0.15
31/4	0.15
32/1	0.60
32/2	0.08
32/3	0.23
32/4	0.23
32/5	0.08
32/6	0.08
33/1	0.06
33/2	0.07
33/3	0.06

(1)	(2)
33/4	0.07
38/1	0.12
38/2	0.12
38/3	0.12
38/4	0.12
38/5	0.51
38/6	0.51
39	0.35
40/1	0.52
40/2	0.02
योग 29	5.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुटीघाट एनीकट पुल तटबंध एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सरकंडा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
299/2	0.06
300	0.10
394/7, 395/6	0.05
394/8, 395/7	0.02
394/9, 395/8	0.02
394/10, 395/9	0.02
394/11, 395/10	0.06
394/12, 395/11	0.02
योग 8	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अशोक नगर से आशाबंद बिरकोना मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्रमांक/02/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर, छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-कोनचरा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
86/7, 89/7, 90/7, 91/7	0.10
86/15, 89/15, 90/15, 91/15	0.10
86/14, 89/14, 90/14, 91/14	0.10

(1)	(2)
86/13, 89/13, 90/13, 91/13	0.13
329/2	0.16
329/1	0.02
328/12	0.17
328/13	0.16
96/2	0.04
95/1	0.03
95/3	0.03
95/2	0.03
328/8	0.11
328/1	0.11
292/3	0.11
290/2	0.23
290/1	0.20
292/2	0.13
271/7	0.19
271/5	0.14
271/6	0.05
271/1	0.11
354/3	0.07
354/4	0.12
269/1	0.12
269/2	0.10
252/3	0.18
253	0.12
252/1	0.10
252/4	0.10
252/2	0.13
367	0.13
251/2	0.20
375	0.32
374/2	0.20
374/9	0.11
374/3	0.14
374/6	0.13
योग	4.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्रमांक/05/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर, छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.23 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
54/2	0.52
62/2	0.25
64	0.29
186/4	0.07
188/4	0.08
186/3	0.08
187/1	0.35
187/2	0.30
188/2	0.08
188/3	0.08
190	0.60
191	0.14
192	0.20
203	0.19
योग	3.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रैनकोटा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक/02/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-उपका, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.08 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
392/2	1.00
392/1	1.00
399	0.28
394	0.80
योग	3.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोंका नाला जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक/06/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर, छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सेकर, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.56 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
6/1	0.25
6/4	0.50
27/1, 27/2	0.90
73	0.30
27/3	0.79
170/2	0.08
182	0.03
177	0.06
181	0.34
35, 37	0.25
39	0.11
191	0.07
194	0.05
42	0.20
43/1	0.20
43/2	0.15
43/3	0.04
43/3 क	0.18
43/4 ख	0.18
43/6, 43/6 क	1.02
49	0.60
50/18	0.32
93	0.48
167	0.05
294	0.08
68	0.05
69	0.09
72	0.22
74/1	0.10
165	0.08
74/2	0.13
166/2	0.46
90/2, 91	0.26
92/2	0.69
168	0.54
183/1	0.32
295/1	0.08

	(1)	(2)
	187	0.05
	180/1	0.20
	300	0.10
	311	0.15
	312	0.10
	43/10	0.65
	43/10 क	0.06
योग	44	11.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रैनकोटा जलाशय मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

प्रकरण क्र. 15/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-सेमराडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.68 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	116/1	0.19
	116/2	0.39
	116/3	0.20
	116/4	0.20
	116/5	0.19
	153/1	0.45
	158/1	0.30
	158/5	0.30
	13/2	0.32
	13/8	0.10
	14/1	0.05
	14/2	0.08
	15/1	0.16
	16/3	0.09
	18/2	0.28
	20/2	0.12
	19	0.12
	20/1	0.30
	24	0.07
	25/1	0.18
	25/4	0.22
	25/5	0.14
	25/6	0.12
	26	0.15
	204/1	0.15
	204/3	0.18
	204/4	0.29
	204/12	0.26
	204/16	0.26
	204/18	0.37
	204/21	0.26
	211/2	0.19
योग	30	6.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमराडीह जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

प्रकरण क्र. 16/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कुकुर्दी केरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	7	0.23
	8	0.08
	10/2	0.11
योग	3	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमराडीह जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

प्रकरण क्र. 17/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-मौहाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.66 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	45	0.34
	46	0.35
	26/1	0.19
	55/5	0.16
	55/6	0.15
	55/7	0.30
	55/8	0.25
	55/9	0.07
	58/2	0.16
	58/3	0.32
	60	0.14
	61	0.16
	62	0.08
	63, 64/2	0.10
	70/1	0.10
	70/2	0.13
	70/3	0.05
	70/4	0.15
	71	0.28
	86	0.01
	72	0.17
योग	22	3.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमराडीह जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्रमांक/5583/नग्रानि/2010.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में अहिवारा निवेश क्षेत्र में शामिल ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 3335 विकास योजना अहिवारा 2010 दिनांक 30-07-2010 छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 6 अगस्त 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अहिवारा निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से दिनांक 16-12-2010 को अंगीकृत किये जाते हैं की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप में तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची
अहिवारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पोटिया, देउरझाल, पिटोरा एवं खासाडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खासाडीह, सन्डी एवं हिंगनाडीह ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम हिंगनाडीह, अहिवारा एवं बानबरद ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बानबरद एवं पोटिया ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थानों पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— (1) कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग, छ. ग.
(2) कार्यालय नगर पंचायत अहिवारा जिला दुर्ग, छ. ग.

No. 5583/T.C.P./2010.—The existing Land Use map and register for the Ahiwara Planning area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide No. 3335 Vikas Yojna Ahiwara 2010 Durg dated 30 July 2010 in Chhattisgarh Rajpatra published on dated 6th August 2010.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that the Existing Land Use map & register of Ahiwara so prepared and published are duly adopted by the Director Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Rajpatra, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on 16-12-2010.

SCHEDULE
Limits of Ahiwara Planning Area

North : Village Potiya, Deorjhal, Pitora and Khasadih upto north boundary.
East : Village Khasadih, Sandi and Hignadih upto east boundary.
South : Village Hignadih, Ahiwara and Banbarad upto south boundary.
West : Village Banbarad and Potiya upto west boundary.

The said adopted map & register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh, Rajpatra.

Place of Inspection—Office of the Joint Director Nagar tatha Gram Nivesh Durg (C. G.)
Office of the Nagar Panchayat Ahiwara Distt. Durg (C. G.)

एम. के. गुप्ता,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

क्रमांक 321/दो-2-21/2005.—श्रीमति माधुरी कातुलकर, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर दिनांक 31-12-2009 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 227 (दो सौ सत्ताईस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

Bilaspur, the 10th December 2010

No. 334/L.G./2010/II-2-20/2007.—Smt. Kanta Martin, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 06 days from 27-12-2010 to 01-01-2011 and permission to prefix holidays of 25th & 26th December, 2010 (Christmas & Sunday) & Suffix holidays of 02-01-2011 (Sunday).

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Martin, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+07 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 15th December 2010

No. 337/II-2-7/2009.—Shri Mahadev Katulkar, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 08 days from 20-12-2010 to 27-12-2010 and permission to prefix holidays from 17th to 19th December, 2010 (Moharram, 3rd Saturday & Sunday respectively) and suffix winter vacation for 02 days on 28th & 29th December, 2010.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katulkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th December 2010

No. 338/L.G./2010/II-2-9/2005.—Smt. Anita Jha, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 27-12-2010 to 31-12-2010 and permission to prefix holidays of 25th & 26th December, 2010 (Christmas & Sunday).

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 157 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 15th December 2010

No. 339/L.G./2010/II-2-12/2009.—Shri A. K. Goyal, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for one day on 01-01-2011 and permission to prefix winter vacation for 05 days from 27-12-2010 to 31-12-2010 & suffix holiday of 02-01-2011 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Goyal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+04 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्रमांक 319/दो-2-15/2007.—श्रीमति विमला सिंह कपूर, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 28-9-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्रमांक 320/दो-2-2/2009.—श्री प्रदीप कुमार दवे, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.